न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 210/2013

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. रतनाराम पुत्र सांवलराम जाति-बावरी, निवासी-मुण्डावा, तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. बद्रीलाल पुत्र शंकरराम 2. बस्ताराम पुत्र सोनाराम 3. कालूराम पुत्र सोनाराम 4. ताराराम पुत्र सोनाराम 5. गीता बेवा सोनाराम 6. पूनाराम पुत्र किशनाराम जाति-बावरी,निवासी-मुण्डावा तहसील-जैतारण,जिला-पाली 7. प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा-जैतारण 8. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **तारीख रजू:.30.07.2013**

उपस्थितः. 1. श्री ओप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री धर्मेश जांगिड़ एवं श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्तागण, प्रति0।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 23/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-मुण्डावा, पटवार हल्का-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष सांवलराम की वंश वृक्षावली अनुसार सांवलराम के पुत्रान सोनाराम (फौत) शंकरराम (फौत) व रतनाराम हुए। सोनाराम (फौत) की पत्नि गीता व पुत्रगण बस्ता, कालू व तारा हुए एवं शंकरराम (फौत) का पुत्र बद्रीलाल हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 12-10 बीघा, खसरा नम्बर 176 रकबा 19-03 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 31-13 बीघा किस्म बा0उ0 की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या एक व छः 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। इसी शामलाती खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में शामलाती इन्द्राज होने से वादी को उसकी कृषि भूमि को काबिल काश्त करने हेतु अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ पैदा होती हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि का बंट्वाड़ा सांवलराम ने अपने जीवनकाल में आज से करीब 35 वर्ष पूर्व अलग-अलग कर दिया। वादी के भाई सोनाराम द शंकरराम शादी सुदा एवं बड़े होने से उन्हें उनके पिता

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सांवलराम ने अलग कर दिया। ववत्त बंटवाड़ा वादी नाबालिग था, जो अपने पिता के साथ ही रहता था तथा वादी के हिस्से में उसके पिता ही काश्त करते थे। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 51 व 176 की कृषि भूमि को हरे रंग से प्रतिवादी संख्या एक की कृषि भूमि को पीले रंग से व प्रतिवादी संख्या 6 की भूमि को आसमानी रंग से तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की कृषि भूमि को लाल रंग से दर्शाया हैं। इसी हिस्सेनुसार पिछले 35 वर्षो से मौके पर बंटवाड़ा होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी ने नजरी नक्शें में बताये हिस्सेनुसार प्रतिवादीगण को दिनांक 11/07/2013 को बंटवाड़ा हेतु कहा तो ईन्कार हुए व वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल / कब्जे काश्त में दखल व दस्तन्दाजी करने की ऐलानिया धमकी दी, इतना ही नहीं प्रतिवादी संख्या एक ने यह भी ऐलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये ही अन्य व्यक्ति को बेचान कर दुंगा। यदि एक अजनबी क्रेता बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त कृषि भूमि में प्रवेश करता हैं तो वह उक्त कृषि भूमि के मनचाहे हिस्से पर कब्जा करेगा, जिससे पक्षकारान् के बीच अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी, वादी के हिस्से की भूमि में एक अजनबी क्रेता दखलन्दाजी करेगा, जबकि वादी को अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए प्रतिवादीगण को बिना बंटवाड़ा करवाये जो राजस्व रेकर्ड में शामलाती भूमि हैं, उसके किसी भी भू-भाग को बेचान हस्तान्तरण करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। कानूनी बंटवाड़ा करवाकर ही अजनबी क्रेता उक्त भूमि में प्रवेश कर सकता हैं, जो राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये फूल बेंन्च के निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों से स्पष्ट हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 176 रकबा 19-03 बीघा के 1/3 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या छः को एक बीघा कृषि भूमि बेचान की गई। इसलिए उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं तथा नजरी नक्शे में भी प्रतिवादी संख्या छः क्रय सुदा हिस्से का आसमानी रंग से दर्शाया गया हैं। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या सात के यहां रहन रखकर ऋण लिया, इसलिए उन्हें भी प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार, जैतारण बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 8 उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण के समक्ष उक्त कृषि भूमि के बेचान हस्तान्तरण बाबत् दस्तावेजात पेश होता हैं, तो प्रतिवादी संख्या 8 उपपंजीयन अधिकारी उसका पंजीयन नहीं करे व पंजीयन कर देवे तो तहसीलदार, जैतारण उसके पक्ष में म्यूटेशन पारित नहीं करें। इस हेतु पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 11/07/2013 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का नजरी नक्शें में बताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने व बिना बंटवाड़ा करवाये ही उक्त कृषि भूमि का किसी अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-मुण्डावा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व अर्थाधिकार में होने से यह वाद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 5, 7 व 8 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 03/09/2013 को की गई। प्रति0 संख्या 1 की ओर से दिनांक 06/01/2014 को श्री महेन्द्र बारहठ व श्यामलाल तंवर तथा दिनांक 13/01/2014 को धर्मेश जांगिड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। दिनांक 03/09/2013 को श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 5 को दिनांक 03/09/2013 से लगातार अवसर जबाबदावा पेश करने के बावजूद भी पेश करने में विफल रहने से दिनांक 23/06/2015 को अवसर समाप्त किया जाकर जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-घोड़ावड़ में पेश हुई। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक राजस्व रेकर्ड एवं नजरी नक्शा वाद-पत्र के संलग्न अनुसार वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा विवादित भूमि का करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। मजमा-ए-आम राजस्व लोक अदालत में तहसीलदार, जैतारण, भू0अ0निरीक्षक वृत-बलाड़ एवं पटवारी हल्का घोड़ावड़ द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वादी की भूमि का बंटवाड़ा किये जाने हेतु पेश की हैं, सामिल मिसल हो। वादीगण की भूमि का माफिक उक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 23/06/2015 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-मुण्डावा, पटवार हल्का-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि आराजी की विवादित भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 19-03 बीघा भूमि में वादी की भूमि का निम्नांकित रूप से पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	बद्रीलाल पुत्र शंकरराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	176	6-01-00	बा0अ0
2	बस्ताराम कालूराम ताराराम पि0 सोनाराम गीता बेवा सोनाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	176/1	6-01-00	बा0अ0
3	रतनाराम पुत्र सांवलराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	176/2	6-01-00	बा0अ0
	योग	3	18-03-00	बा0अ0
	रास्ते की भूमि	176/3 एवं 176/4	1-00-00	बा0अ0
	कुल योग	5	19-03-00	बा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि में बांजाकुड़ी से मुण्डावा के रास्ते से जैतारण से मुण्डावा के रास्ते तक उक्त खसरा नम्बर के दोनों तरफ रास्ते की भूमि क्रमशः 13 बिस्वा तथा 7 बिस्वा कुल 1 बीघा भूमि रहेगी, जो रास्ते के उपयोग / उपभोग में आयेगी। इसी प्रकार मौजा-मुण्डावा, पटवारी हल्का-घोड़ावड़ में स्थित खसरा नम्बर 51 रकबा 12-10 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि निम्नांकित रूप से पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	बद्रीलाल पुत्र शंकरराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	51	4-00-00	बा0अ0
2	बस्ताराम कालूराम ताराराम पि0 सोनाराम गीता बेवा सोनाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	51/1	4-00-00	बा0अ0
3	रतनाराम पुत्र सांवलराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	51/2	4-00-00	बा0अ0
	योग	3	12-00-00	बा0अ0
	रास्ते की भूमि	51/3 एवं 51/4	0-10-00	बा0अ0
	कुल योग	5	12-10-00	बा0अ0

उक्त भूमि दोनों तरफ 6 बिस्वा व 4 बिस्वा रास्ते के उपयोग / उपभोग में आयेगी। तदानुसार राजस्व रेकर्ड / नक्शा में अमल दरामद / तरमीम किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 23/06/2015 निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/6/2015 को राजस्व लोक अदालत-घोड़ावड़ अटल सेवा केन्द्र पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

दर्ईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादी :-

1. रतनाराम पुत्र सांवलराम
जाति-बावरी, निवासी-मुण्डावा,
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बद्रीलाल पुत्र शंकरराम
2. बस्ताराम पुत्र सोनाराम
3. कालूराम पुत्र सोनाराम
4. ताराराम पुत्र सोनाराम
5. गीता बेवा सोनाराम
6. पूनाराम पुत्र किशनाराम
   जाति-बावरी,निवासी-मुण्डावा
   तहसील-जैतारण,जिला-पाली
7. प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा-जैतारण
8. उपपंजीयन अधिकारी एवं
   तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी
   राजस्थान सरकार
   तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:210/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री ओप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री धर्मेश जांगिड़ एवं श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्तागण, प्रति0 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 23/06/2015 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-मुण्डावा, पटवार हल्का-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि आराजी की विवादित भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 19-03 बीघा भूमि में वादी की भूमि का निम्नांकित रूप से पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	बद्रीलाल पुत्र शंकरराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	176	6-01-00	बा0अ0
2	बस्ताराम कालूराम ताराराम पि0 सोनाराम गीता बेवा सोनाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	176/1	6-01-00	बा0अ0
3	रतनाराम पुत्र सांवलराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	176/2	6-01-00	बा0अ0
	योग	3	18-03-00	बा0अ0
	रास्ते की भूमि	176/3 एवं 176/4	1-00-00	बा0अ0
	कुल योग	5	19-03-00	बा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि में बांजाकुड़ी से गुण्डावा के रास्ते से जैतारण से गुण्डावा के रास्ते तक उक्त खसरा नम्बर के दोनों तरफ रास्ते की भूमि क्रमशः 13 बिस्वा तथा 7 बिस्वा कुल 1 बीघा भूमि रहेगी, जो रास्ते के उपयोग / उपभोग में आयेगी। इसी प्रकार मौजा-गुण्डावा, पटवारी हल्का-घोड़ावड़ में स्थित खसरा नम्बर 51 रकबा 12-10 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि निम्नांकित रूप से पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	बद्रीलाल पुत्र शंकरराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	51	4-00-00	बा0अ0
2	बस्ताराम कालूराम ताराराम पि0 सोनाराम गीता बेवा सोनाराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	51/1	4-00-00	बा0अ0
3	रतनाराम पुत्र सांवलराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	51/2	4-00-00	बा0अ0
	योग	**3**	**12-00-00**	बा0अ0
	रास्ते की भूमि	**51/3 एवं 51/4**	**0-10-00**	बा0अ0
	कुल योग	**5**	**12-10-00**	बा0अ0

उक्त भूमि दोनों तरफ 6 बिस्वा व 4 बिस्वा रास्ते के उपयोग / उपभोग में आयेगी। तदानुसार राजस्व रेकर्ड / नक्शा में अमल दरामद / तरमीम किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 23/06/2015 निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	3=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	1=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	5=00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	—	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	=	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	9=00	मिजानः-	3=00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner